विचार बिन्दु

घृणा हृदय का पागलपन है। –बायरन

दिल्ली का बॉस कौन?

देश की शीर्ष कोर्ट ने दिनांक 11.05.2023 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। इस फैसले में सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) पुलिस और जमीन को छोडकर दिल्ली में अफसरों के ट्रान्सफर, पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार माना है। संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि नौकरशाहों पर निर्वाचित सरकार का ही नियन्त्रण होना चाहिये। इस प्रकार दिल्ली में अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग के संबंध में जो जंग केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार के मध्य चल रही थी, उसे विराम मिला किन्तु केवल कुछ समय के लिये क्योंकि केन्द्र सरकार ने दिनांक 12 मई को एक ऑर्डिनेन्स (Ordinance) के द्वारा उक्त निर्णय को ही पलट दिया। ऑर्डिनेन्स (No. 1 of 2023) है, उसका शीर्षक The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 है। दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिये थे, वे वापिस ले लिये। ऑर्डिनेन्स के माध्यम से एक प्राधिकरण बनाया है। यह प्राधिकरण दिल्ली में ट्रान्सफर, पोस्टिंग और विजिलेन्स के काम पर नजर रखेगा। प्राधिकरण बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा और अन्तिम फैसला एलजी का मान्य होगा। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल, दिल्ली के मुख्य सचिव व प्रमुख गृह सचिव होंगे।

अध्यादेश लाने के तत्काल बाद दिल्ली सरकार ने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। इसमें दिनांक 11.05.2023 के निर्णय को चुनौती दी है। केन्द्र सरकार ने National Capital Civil Services Authority भी गठित कर दी। यह प्राधिकरण ट्रान्सफर व पोस्टिंग ग्रुप ए ऑफिसर्स व DANICS Officers अर्थात (DANICS) Delhi, Andaman & Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil) Services के आर्डिनेन्स के अनुसार करेगा। एलजी का निर्णय अन्तिम होगा, यदि प्राधिकरण के सदस्य एक मत न हों।

यह केस बहुत छोटा सा लगता है, किन्तु इसमें संवैधानिक कई प्रश्न हैं, वे कुछ इस प्रकार से हैं:–

क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिनांक 11.05.2023 संविधान के आधारभूत स्ट्रक्चर को निष्प्राण करने वाला है यानी अवैध है?

क्या सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 11.05.2023 का निर्णय FEDRALISM की भावना के विरूद्ध है?

क्या अध्यादेश अथवा अधिनियम बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा जा सकता है?

क्या निर्णय दिनांक 11.05.2023 में Error Apparent on Face of Record प्रत्यक्ष है?

क्या NDMC vs State of Punjab के केस में Services की जो व्याख्या बडी बैंच कर चुकी है अत: मामले को 11 जजेज की और बडी बैंच को रेफर किया जाना चाहिये था या तत्सम्बंधित प्रार्थना पत्र पर निर्णय नहीं देना Error Apparent है?

क्या केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली की सरकार के अधिकारियों के ट्रान्सफर, पोस्टिंग के बाबत दिये गये निर्णय को नकारते हुये अध्यादेश के द्वारा नेशनल केपिटल सिविल सर्विस ऑथोरिटी का गठन किया है और नियुक्ति व पोस्टिंग के फाइनल अधिकार राज्यपाल को दे दिये जो दोषपूर्ण है?

यशस्वी विधिवेत्ताओं ने और अखबारों में अध्यादेश पर तीखी टिप्पणियां की गई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि बदले की भावना से लाया गया है तथा अध्यादेश द्वारा संविधान के प्रावधानों को तोड़ा-मरोड़ा है। सिंघवी सीनियर एडवोकेट ने पुरजोर तरीके से कहा कि आफिसरों की जवाबदेही चुनकर आयी सरकार के प्रति होती है यह जाना-समझा सिद्धान्त है। विरोध के स्वर कई जगह से आ रहे हैं।

दिनांक 11.05.2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध केन्द्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट का मत था कि नेशनल केपिटल टेरीटरी ऑफ दिल्ली को लेजिसलेटिव व एक्जीकटिव के अधिकार नेशनल केपिटल में Administrative Services के अधिकार हैं अपवाद केवल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस व जमीन का है। संविधान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि एलजी को दिल्ली सरकार के आदेश को (सिवाय पब्लिक आर्डर, जमीन संबंधित विषय के। केन्द्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसमें नेशनल केपिटल सिविल सर्विस ऑथोरिटी के गढन का प्रावधान है। इस प्राधिकरण का हेड दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे। अब प्राधिकरण ही ट्रान्सफर, पोस्टिंग पर आदेश जारी करेगा। इस बाबत एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसका उद्देश्य था कि संविधान के आर्टिकल 239एए की जो भावना थी उसे मुखरित किया है।

सुप्रीम कोर्ट से बडी कोर्ट, सुप्रीम अपेलेट कोर्ट नहीं है अतः निर्णय फाइनल (अन्तिम होता है)। यदि संसद के कानून से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार माना जावे तो यह स्वीकार करना होगा कि संसद को अपेलेट जूरिसडिक्शन प्राप्त है। यह कानून की सही स्थिति नहीं है।

संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्णमूर्ति, जस्टिस हीमा कोहली तथा जस्टिस पीए नरसिम्हा थे, जिन्होंने निर्णय सुनाया था।

राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के 11.05.2023 के निर्णय को पलटने हेतु एक अध्यादेश निकाला है। यह अध्यादेश नं. 1 of 2023 है। इस अध्यादेश से जो 19 मई सन 2023 को भारत के राज पत्र मे प्रकाशित हुआ है। इसका उद्देश्य था, Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 को संशोधित करना। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका Administration राष्ट्रपति करते थे, इसे यूनियन टेरिटरी माना गया था, इसको विशेष अधिकार दिया गया था यानी इसे यूनियन टेरीटरी का दर्जा दिया गया तथा इसे Legislature (विधायिका) का अधिकार दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2023 से माना गया कि दिल्ली की सरकार सभी सर्विसेज जिसमें, आईएएस भी हैं, कन्ट्रोल करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि चुनी गई सरकार ही सर्विसेज को कन्ट्रोल करेगी, किन्तु केन्द्र की सरकार का दखल नहीं होगा। नये अध्यादेश ने इसे स्पष्ट करते हुये बतलाया कि अब ये अधिकार दिल्ली के एलजी के होंगे। ऑर्डिनेन्स ने स्पष्ट किया कि नेशनल केपिटल, समस्त देश की है और समस्त देश अपेक्षा करेगा कि उनका हित नेशनल केपिटल में है। अनुच्छेद 239एबी व 239बी अध्यादेश लाने की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और अध्यादेश जो राष्ट्रपति की हिदायत से जारी किया जावेगा उसे अधिनियम का दर्जा दिया जावेगा। इसमें दी गई अध्यादेश की प्रक्रिया अनुच्छेद 213 में दी गई प्रक्रिया से भिन्न है। यह भी निर्विवाद कानूनी स्थिति है कि **Court cannot nullify the direction of the Court by a Legislature that unless the base is removed within the constitutionally permissible limits"-

ऑर्डिनेन्स के अनुसार प्राधिकरण की नियुक्ति हो चुकी है और वह नियुक्ति ट्रान्सफर, पोस्टिंग को कन्ट्रोल करेगा। एलजी को यह सिफारिश दुबारा भेजी जावेगी जो केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व (नोमिनी) है एलजी व प्राधिकरण की सिफारिश में भिन्नता होने पर एलजी का निर्देशन माना जावेगा।

नये ऑर्डिनेन्स (No.1 of 2023) की धारा 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है वह इस प्रकार है:–

3. After section 3, the following section shall be inserted, namely:--

"3A. Notwithstanding anything contained in any judgement, order or decree of any Court, the Legislative Assembly shall have the power to make laws as per Article 239AA except with respect to any matter enumerated in Entry 41 of List II of the Seventh Schedule of the Constitution of India or any matter connected therewith or incidental thereto."

इस केस में सबसे बडा प्रश्न है क्या अध्यादेश अथवा अधिनियम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा जा सकता है। संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फाइनल होता है। यह सही है कि अन्तिम निर्णय के बाद रिव्यू अथवा Currative Petition हो सकती है, किन्तु संसद को कोर्ट के अन्तिम निर्णय का 'पलटने' का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। कई निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संसद में कानून बनाकर निर्णय को निरस्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से बडी कोर्ट, सुप्रीम अपेलेट कोर्ट नहीं है अत: निर्णय फाइनल (अन्तिम होता है)। यदि संसद के कानून से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार माना जावे तो यह स्वीकार करना होगा कि संसद को अपेलेट जूरिसडिक्शन प्राप्त है। यह कानून की सही स्थिति नहीं है।

इस केस में कई कानूनी प्रश्न पैदा हुये हैं। इसके अतिरिक्त बीजेपी जो अध्यादेश लेकर आई है, उसका विरोध भी हो रहा है। 'आप' पार्टी के केजरीवाल जी कांग्रेस का साथ दे सकते हैं और ममता जी केजरीवाल को सहयोग दे सकती हैं। विषय चिंता व चिन्तन का है और कानूनी स्थिति भी उलझी हुई दिखाई दे रही है। केस में शीघ्र ही बहस हो सकती है। जब केस में सुनवाई होने वाली हो तो केस के मेरिट पर लिखना उचित नहीं है। रिव्यू पिटीशन में यह प्रश्न नहीं उठाया गया प्रतीत होता है। यों भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है अत: प्रश्न नं. 3 पर लेखक के क्या विचार हैं, उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। Lawteller नामक मेगजीन जो नवम्बर 2002 में प्रकाशित हुई थी लेखक का लेख पृष्ठ संख्या 506 पर प्रकाशित हुआ था। इसका शीर्षक था "Promulgation of Ordinance to Nullify the Directions of Election Commission, A Fraud on the Constitution" लेखक का मत इस लेख में सर्वोच्च न्यायालय के ही कई निर्णयों पर आधारित है। लेख के कुछ अंश इस प्रकार हैं:–

** By an Ordinance or Legislature enactment the Government cannot nullify the judgment of the Supreme Court **

इसके अतिरिक्त एस एस बोला बनाम बी डी सर [1997) (8) SCC 522] , ऐल्युमेनियम कम्पनी का केस [1966 (7) SCC 3] , में भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ऑर्डिनेन्स की सहायता से इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन को अथवा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि इस केस में ऑर्डिनेन्स से The Government of Natiional Capital Territory of Delhi 1991 को Ordinance No.1/2023 से संशोधित किया है। संशोधन से स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

दिल्ली का बॉस कौन है यह समझ में आ जावेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करें।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश,
राजस्थान हाई कोर्ट

लिंग-विभेद रोधी तथा भ्रष्टाचार-रोधी प्रयास: जी-20 के लिए एजेंडे का निर्धारण

एस. राधा चौहान

जी-20 भ्रष्टाचार-रोधी कार्यसमूह की बैठक, जो इस महीने के अंत में ऋषिकेश में आयोजित की जायेगी, के महत्वपूर्ण विषयों में एक है-भ्रष्टाचार का लैंगिक आयाम। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए भ्रष्टाचार का अनुभव अलग होता है, क्योंकि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक कमजोर होती हैं। भेदभाव के ऐतिहासिक पैटर्न पर आधारित लैंगिक शक्ति विभेद, भेदभावपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा दे सकते हैं, जो महिलाओं को बलपूर्वक भ्रष्टाचार और शोषण के अन्य रूपों की पीड़ा देते हैं। इसके अलावा, सामाजिक मानदंडों के परिणामस्वरूप, रूढ़िबद्ध लैंगिक सामाजिक भूमिकायें और विशिष्ट आवश्यकतायें महिलाओं के लिए गतिविधि के क्षेत्रोंका निर्धारण करतीं हैं, जहाँ उन्हें भ्रष्टाचार के उच्च जोखिम का अक्सर सामना करना पड़ता है। जहां महिलाएं परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली की भूमिका निभातीं हैं, वहां उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता जैसी सार्वजनिक सेवाओं की सुविधा के लिए नियमित रूप से भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इस बात पर आम सहमति है कि भ्रष्टाचार का महिलाओं की शिक्षा के परिणामों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है और यह उनके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ लैंगिक समानता को प्रभावित करता है, जिससे अंतत: दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी प्रभावित होती है।

भ्रष्टाचार-विभेद के प्रभाव को देखते हुए श्रम बाजार और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के समावेश पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि विविधता के विस्तार और समावेश में वृद्धि से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। आईएलओ के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि 25 से 54 वर्ष की आयु-वर्ग के लोगों के बीच श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर 29.2 प्रतिशत है, जिसमें महिला भागीदारी 61.4 प्रतिशत और पुरुष भागीदारी 90.6 प्रतिशत है। भ्रष्टाचार से संबंधित कानूनों समेत उपयुक्त विधायी और संस्थागत व्यवस्थाओं को लागू करने से औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। कई अध्ययनों ने निर्विवाद रूप से स्थापित किया है कि कैसे सूचना विषमता के परिणामस्वरूप महिलाओं की ऋण सुविधा तक पहुंच सीमित हो जाती है, जिससे उनके व्यापार निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों में कमी आती है। वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण एक समाधान हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक बहुत स्पष्ट डिजिटल लैंगिक अंतर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, केवल 57 प्रतिशत महिलाओं की इंटरनेट तक पहुंच है, जबकि पुरुषों के लिए यह संख्या 62 प्रतिशत है। इस कारण, ई-वाणिज्य और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध असंख्य अवसरों के उपयोग करने के क्षेत्र में महिलायें गंभीर नुकसान की स्थिति में होतीं हैं।

विश्व के विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जाता रहा है। जैसा कि यूएनओडीसी की दिसंबर 2020 में प्रकाशित द टाइम इज नाउ शीर्षक रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है, लैंगिक समानता के पक्ष में किये गए कार्य, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, लेकिन इसका विपरीत भी सत्य है। वैश्विक स्तर पर, यह सहजीवी संबंध लिंग-जागरूकता और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए बड़ी संभावनाओं के द्वार खोलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2021 के विशेष सत्र की राजनीतिक घोषणा के माध्यम से, सदस्य देश लैंगिक आधार और भ्रष्टाचार के बीच संबंधों की अपनी समझ में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी20 भ्रष्टाचार-रोधी कार्यसमूह (एसीडब्ल्यूजी) भ्रष्टाचार से संबंधित उभरते मुद्दों का समाधान करने में सबसे आगे रहा है। 2019 जी20 राजनेताओं की घोषणा के माध्यम से, जी20 देशों ने भ्रष्टाचार और लैंगिक आधार के बीच संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्वागत किया। जी20 एसीडब्ल्यूजी कार्ययोजना 2019-21 और 2022-24 में सदस्य देशों द्वारा निम्न के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है - सदस्य देश लैंगिक आधार और भ्रष्टाचार के बीच संबंधों की अपनी समझ को गहरा करना जारी रखेंगे और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों व नीतियों में लैंगिक आयाम को कैसे शामिल किया जा सकता है, इस पर ध्यान देते हुए संभावित कार्रवाइयों पर चर्चा करेंगे।

शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा कई पहलें की गई हैं, जिनका महिला सशक्तिकरण पर और भ्रष्टाचार के प्रति उनकी कमजोरी में कमी लाने पर गुणात्मक प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जैसी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं ने महिलाओं की आय और उनकी वित्तीय निर्णय लेने की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जैम ट्रिनिटी, धन के सीधे अंतरण को सक्षम करने के लिए जन धन बैंक खातों, आधार के तहत प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल फोन को एकीकृत करता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने बैंक खाता स्वामित्व में लैंगिक अंतर को प्रभावी ढंग से कम किया है - 55.6 जन धन खाते महिलाओं के पास हैं। आधार आधारित प्रमाणीकरण और मोबाइल फिन-टेक सेवाओं के साथ, जेएएम ट्रिनिटी की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के माध्यम से महिला उद्यिमयों को अत्यधिक समर्थन मिला है। 2030 तक, अनुमानित 30 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के भारत में फलने-फूलने की उम्मीद है, जिनसे 150 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) की वुमनिया पहल; महिला उद्यिमयों को स्थानीय सरकारी खरीदारों के साथ दूर-दराज स्थित महिला उत्पादकों और सेवा प्रदाताओं को जोड़कर बाजार, वित्त और मूल्य-संवर्धन तक पहुंच प्रदान करती है। 15 जनवरी, 2023 तक, 1.44 लाख से अधिक महिला सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई)-जेम पोर्टल पर विक्रेता और सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं और 21,265 करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) के लिए 14.76 लाख से अधिक ऑर्डर पूरे किए हैं।

ऋषिकेश में जी20 भ्रष्टाचार-रोधी कार्यसमूह की बैठक में जी20 सदस्य देशों के लैंगिक संवेदनशील शासन और लैंगिक आयाम के साथ भ्रष्टाचार-रोधी सर्वोत्तम तौर तरीकों से जुड़े वैश्विक और भारतीय अनुभवों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनके आधार पर सदस्य देश भविष्य की पहलों के लिए विषय-वस्तु निर्धारित करेंगे। जिन कुछ प्रश्नों पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा, उनमें शामिल हैं: (क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नीति निर्माता; भ्रष्टाचार के लैंगिक अंतर प्रभाव को समझने की आवश्यकता तथा महिलाओं और पुरुषों की विशिष्ट चिंताओं और अनुभवों का समाधान करने वाली नीतियों को डिजाइन करने की आवश्यकता को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं? (ख) सरकार, शासन में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के साथ भ्रष्टाचार-रोधी नीतियों को कैसे जोड़ सकती है? (ग) भ्रष्टाचार-रोधी उपायों में लैंगिक विश्लेषण तथा भ्रष्टाचार पर लिंग संबंधी अलग-अलग डेटा की क्या भूमिका है? भारत और विदेश के पैनल विशेषज्ञ इन मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में लैंगिक संवेदनशील शासन और नीति-निर्माण के क्षेत्र में आगे का रास्ता दिखाएंगे।

एस. राधा चौहान,
लेखिका कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
भारत सरकार की सचिव हैं।

सांभर के देवयानी सरोवर में सुअरों का जमघट

सांभर के देवयानी सरोवर (तीर्थ स्थल) में लंबे समय से सूअरों का जमघट लगा हुआ है।

सांभरझील, (निसं)। सांभर के देवयानी सरोवर (तीर्थ स्थल) में लंबे समय से सूअरों का जमघट लगा हुआ है। सभी तीर्थों की नानी के नाम से विख्यात यहां पर प्रदेशभर से श्रद्धालुओं का नियमित आना जाना रहता है। पर्यटन और पुरातत्व विभाग के माध्यम से सरकार ने यहां पर सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया लेकिन लावारिस व पालतू जानवरों को तीर्थ स्थल में आने से रोकने के लिए कोई दूरदर्शिता नहीं दिखाई गई।

■ सरोवर में कमल गट्टे को खा रहे हैं सूअर, हजारों की तादाद में छोटी मछलियां भी हो रही है शिकार

देवस्थान विभाग ने कभी भी यहां के धार्मिक तीर्थ स्थलों के रखरखाव व उनके संरक्षण की दिशा में कोई सुध नहीं ली और ना ही देवस्थान विभाग का यहां पर कोई उप कार्यालय है। नगर पालिका प्रशासन के पास हालांकि सीधे तौर पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नगर पालिका एक्ट में प्राप्त प्रावधानों के अनुसार ऐसे पालतू पशुओं को खुले में छोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

सूअरों का झुंड जो कि सर्वहारि (सभी प्रकार का आहार खाने वाला) होता है वह इस देवयानी सरोवर में कमल के पौधों की जड़ों को अंदर तक जाकर खा रहा है। इस प्रकार कमलगट्टे को नष्ट करने से आने वाले समय में अब यहां पर लोगों को कमल खिलते दिखाई देना मुश्किल हो जाएगा जो कि सरोवर को सुंदरता प्रदान करते हैं। वहीं सूअरों का झुंड सरोवर में मौजूद छोटी मछलियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं जो कि काफी चिंता का विषय है।

मंदिर के पुजारियों ने बताया कि बाहर से आने वालो श्रद्धालुओं की ओर से घाट पर कपड़े, नारियल के खोल, मालाएं आदि बहा दी जाती हैं जिससे भी सरोवर की पवित्रता दूषित हो रही है।

अनिल कुमार गट्टानी भाजपा पार्षद व नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि यह तो बहुत गंभीर मुद्दा है, आखिर नगरपालिका कर क्या रही है। अधिशाषी अधिकारी को हमारी ओर से सरोवर के खुले स्थानों पर तारबंदी करने हेतु लिखा जाएगा और इस काम के लिए दबाव भी बनाया जाएगा ताकि इन पर रोकथाम लगाई जा सके।

हरिनारायण यादव अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांभर का कहना है कि मेरे संज्ञान में यह मामला आज ही आया है। वैसे सरोवर पर निगरानी हेतु कुछ नरेगा कार्मिकों की ड्यूटी भी लगा रखी है। मौका निरीक्षण किया जाएगा। वैसे पालिका को सीधे तौर पर धार्मिक स्थलों के लिए अलग से कोई बजट नहीं मिलता है। देवस्थान विभाग की भी यह मुख्य जिम्मेदारी है। सरोवर में सूअरों को रोकने के लिए व्यवस्था की जाएगी तथा ऐसे पशु मालिकों को नोटिस देकर उन्हें बाडे में बंद रखने हेतु भी लिखा जाएगा अन्यथा नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हाईवे की सर्विस रोड पर जानलेवा गड्ढे

पावटा, (निसं)। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के सर्विस रोड पर वाहन चालक मुश्किल भरा सफर कर रहे हैं। एक दिन की बारिश में मुख्य मार्ग सहित सर्विस रोड की हालत खराब हो गई है। सर्विस रोड तो जगह-जगह तालाब नजर आ रही है।

मुख्य मार्ग पर जहां कई जगह पैचवर्क उखड़ गए हैं वहीं सर्विस रोड पर तो आवागम मुश्किल हो गया है। बारिश की वजह से सर्विस रोड पर

■ पानी भरने से तालाब जैसे हालात पैदा हो रहे हैं

प्रागपुरा से लेकर पावटा तक बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर गया है। वाहन तेजी से चलाते हुए जब गड्ढों के निकट आते हैं तो अचानक ब्रेक लेने के प्रयास में संतुलन बिगड़ जाता है।

यह तो संयोग ही अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यदि सर्विस रोड में सुधार न हुआ तो किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं पावटा से कूनेड जाने वाले रोड पर करीब 3 फीट गहरा गड्ढे हो गये हैं। ऐसे ही कई और गड्ढे हैं जिसमें बड़े वाहन तो पार हो जाते हैं लेकिन छोटे वाहन अक्सर फंस जा रहे हैं। साइकिल व मोटरसाइकिल वालों के लिए यह सबसे बड़ी मुसीबत बने गए हैं। इस रास्ते से स्कूली वाहन सर्वाधिक आते जाते हैं। बुधवार की रात कई वाहन गड्ढे में फंसे थे जिन्हें क्रेन बुलाकर निकलवाना पड़ा। क्षेत्र में रात और सुबह बारिश होने के कारण हाईवे किनारे सर्विस मार्ग की सडक टूटने से बडे-बडे गड्ढे हो रहे हैं। सडक किनारे बनाया गया नाला भी जगह-जगह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया या कचरे से भरे हुए है। इस कारण पानी की निकासी नहीं हो रही है।

राशिफल शुक्रवार 26 मई, 2023

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2080, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 8:50 तक, धुव्र योग सांय 7:03 तक, गर करण सांय 6:01 तक, चन्द्रमा रात्रि 8:50 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरू-मेष, शुक्र-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज रवियोग रात्रि 8:50 तक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:20 तक, लाभ-अमृत 7:20 से 10:42 तक, शुभ 12:24 से 2:05 तक, चर 5:27 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:39, सूर्यास्त 7:09

मेष
घर-परिवार के खर्चों के कारण भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने का प्रयास करें। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

कर्क
महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

सिंह
अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में असंतोष और भय बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय के नवीन स्त्रोत सामने आयेंगे। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। आवश्यक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

धनु
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। परिवार में परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित परामर्श मिलेगा।

कुंभ
विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। किसी भी कारण से बना हुआ मन का भय समाप्त होंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी।

मीन
परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों का आगमन बना रहेगा। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।